न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:— दावा संख्या 17 / 2019

निर्णय दिनांक :— 04.06.2019

रामेश्वरलाल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

1. श्री देवेन्द्रकुमार चोटिया अभिभाषक वादी
2. श्री राजेन्द्र कुमार मेघवाल अभिभाषक प्रति.सं. 1
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 88 व 91 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 88 व 91 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती के लिए दिनांक 6.3.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 747 तादादी 51 बीघा 16 विश्वा यानि 13.1016 हैक्टर व ख.नं. 766 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा यानि 2.9087 हैक्टर कुल तादादी 63 बीघा 06 विश्वा यानि 16.0103 हैक्टर रोही ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ में स्थित रही है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

3. वादी का संयुक्त खातेदारी में 7/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 3/10 हिस्सा दर्ज था, जिसके अनुसार वादी के हिस्सा में 11.2072 हैक्टर तथा प्रतिवादी के हिस्सा में 4.8031 हैक्टर भूमि बनती है।

4. वादी एवं प्रतिवादी दोनो अनपढ व्यक्ति है। कुछ माह पूर्व ग्राम पंचायत परसनेऊ में राजस्व शिविर लगा था जिसमें पटवारी आदि ने खाता विभाजन करवा लेने का सुझाव दिया था। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी ने पहले से विभाजन कर रखा था और अलग अलग काश्त करते थे।

5. वादी के हिस्से में 7/10 हिस्सा भूमि ख.नं. 747 में से 11.2072 हैक्टर भूमि उत्तरी पूर्वी तरफ की तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 3/10 हिस्सा की ख.नं. 747 में से दक्षिणी पश्चिमी ओर की 1.8944 हैक्टर तथा ख.नं. 766 की 2.9087 हैक्टर कुल 4.8031 हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी, । राजस्व अभियान के दिन पटवारी हल्का ने कागजात तैयार किये व करवाये। विभाजन के कागजात तैयार करते समय गणना की भूल कर दी गई और वादी के हिस्से में 11.2072 हैक्टर की बजाय 8.2960 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में कुल खाते में से 3/10 हिस्सा भूमि के स्थान पर गलत दर्ज कर दी। मौके के अनुसार विभाजन का नक्शा सही बनाया गया था।

6. वर्तमान में वादी के नाम से ख.नं. 1281/747 की 8.2960 हैक्टर भूमि दर्ज है जबकि वादी के हिस्से एवं नक्शे के अनुसार इसकी भूमि 11.2072 हैक्टर अकिंत किया जाना चााहिये तथा प्रतिवादी सं. 1 भंवरलाल के नाम से दर्ज ख.नं. 1282/747 का रकबा 4.8056 दर्ज है जबकि वास्तविक रूप से 1.8944 हैक्टर दर्ज होना चाहिए। इसी अनुसार मौके पर विभाजन किया हुआ है। लिपिकीय भूल से भूमि गलत दर्ज हुई है। जिसे दुरूस्त करवाने व वादी की खातेदारी के ख.नं. 1281/747 का रकबा 11.2072 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 1282/747 का रकबा 1.8944 हैक्टर होने की वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

7. वादी अनपढ होने से उसे पहले इस बात का ज्ञान नही हुआ केसीसी. बनाने के लिए कागजात लिये व पटवारी से सम्पर्क किया तब गलत रकबा दर्ज होने की जानकारी हुई। उप तहसील कार्यालय से प्रकरण को दुरूस्ती योग्य मानते हुए

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

कागजात उपखण्ड कार्यालय में भिजवाये गये परन्तु 20.2.2019 को दुरूस्ती से इनकार कर दिया। यही दावे का हेतुक है। तथा गलत इद्राज कर दिये जाने व वादगत भूमि का खातेदार होने के कारण वादाधार प्राप्त है।

8. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल की ओर से दिनांक 18.3.2019 को राजीनामा प्रस्तुत कर दावा वादी को डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

9. अभिभाषक वादी की ओर से नकल जमाबन्दी ख.नं. 1281/747, नकल जमाबन्दी ख.नं. 747,766, नकल जमाबन्दी ख.नं. 766, 1282/747, नकल रिपोर्ट पटवारी व उप तहसील राजलदेसर दिनांक 12.2.2019, नकल एक्स वादगत भूमि प्रस्तुत किये गये है।

10. बहस विद्वान अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। उपतहसीलदार, राजलदेसर की रिपोर्ट का अवलोकन करने से पाया गया कि वादी का संयुक्त खातेदारी में 7/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 3/10 हिस्सा दर्ज था, जिसके अनुसार वादी के हिस्सा में 11.2072 हैक्टर तथा प्रतिवादी के हिस्सा में 4.8031 हैक्टर भूमि बनती है। राजस्व लोक अभियान 2018 के दौरान भूमि का विभाजन करते समय हिस्से की गणना गलत करते हुए वादी के हिस्से में 11.2072 हैक्टर की बजाय 8.2960 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में कुल खाते में से 3/10 हिस्सा था जिसकी 4.8031 हैक्टर भूमि बनती है, जिसके स्थान पर 7.7143 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी जो गलत है। प्रतिवादी सं. 1 हिस्से में ख.नं. 766 की समस्त 2.9087 हैक्टर व ख.नं. 1282/747 की 1.8944 हैक्टर भूमि कुल 4.8031 हैक्टर भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी। ख.नं. 1282/747 की 2.9112 हैक्टर भूमि भूलवश ज्यादा दर्ज करदी जो वादी के ख.नं. 1281/747 के वर्तमान रकबा में जोड़ी जाकर ख.नं.1281/747 का रकबा 11.2072 दर्ज की जानी व प्रतिवादी संख्या 01 का ख.नं. 1282/747 का रकबा 1.8944 दर्ज किया जाना है। जो विभाजन से पूर्व के राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दावा को डिक्री करने की इस्तदुआ की गई है। राजस्व रेकार्ड व मौके के अनुसार विभाजन का नक्शा सही बनाया गया था। इस प्रकार

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

वादी का दावा राजीनामा व उप तहसील राजलदेसर की रिपोर्ट के अनुसार डिकी योग्य है।

आदेश

दावा वादी घोषणा एवं दुरूस्ती बाबत बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाता है ओर घोषित किया जाता है कि ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ में स्थिति वादी की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 1281/747 का रकबा 11.2072 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 भंवरलाल की खातेदारी में स्थित ख.नं. 1282/747 का रकबा 1.8944 हैक्टर है। उक्त खसरों का वर्तमान रकबा गलत एवं अवैध दर्ज है। प्रतिवादी सं. 2 उपरोक्तानुसार सही रकबा रेकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार, रतनगढ को डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में अकंन करने हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.06.2019 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Ind.
Pat-IV-10

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल क्र. 7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अर्ज अदालत न्या. उपखण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़

इजलास श्री महेन्द्र डालिया आर.ए.एस. [illegible]

ओमप्रकाश बनाम [illegible] आदि

दावा बाबत धारा 88 रा. का. अधि. 1955

मुकदमा नं. 171 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजीनामा

व हाजरी श्री देवेन्द्र कुमार [illegible] मिनजानिब मुद्दई व श्री [illegible] कुमार [illegible] से अधि. मिनजानिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत राजीनामा डिक्री किया जाता है और घोषित किया जाता है कि ग्राम परसनेऊ तहसील रतनगढ़ में स्थित वादी की खातेदारी में दर्ज खसरा नं. 128/758 का रकबा 11-2072

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 6 20 19 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]
ओहदा उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुदायलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....				....		
मीजान......				मीजान......			

नोट-- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

हैक्टर तथा प्रतिवादी सं० 1 अंबालाल की खातेदारी में स्थित खसरा नं० 1282/747 का रकबा 1-8944 हैक्टर है। उक्त खसरे का वर्तमान रकबा गलत एवं अवैध दर्ज है। प्रतिवादी सं० 2 उपरोक्तानुसार सही रकबा रेकार्ड में दर्ज करे। तहसीलदार रतनगढ़ को डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु लिखा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)